न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu223RTA119 Mahendra Kumara Vs Paresh etc

महेन्द्रकुमार पुत्र पुखराज ओसवाल देशलहरा
निवासी ग्राम बैठवासिया पण्डितजी की ढाणी
तहसील ओसिया, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. परेश पुत्र मिश्रीलाल महाजन, निवासी ग्राम बैठवासिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
2. पप्पूराम पुत्र डालूराम जाट, निवासी पण्डित जी की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
3. हीरालाल पुत्र चुन्नीलाल के कायममुकामान--
   a. रामूराम पुत्र हीरालाल
   b. धन्नाराम पुत्र हीरालाल
4. गिरधारीलाल पुत्र चुन्नीलाल
5. प्रेमराज पुत्र चुन्नीलाल
6. कन्हैयालाल पुत्र चुन्नीलाल
   समस्त जाति सोनार, निवासीगण ग्राम पण्डित जी की ढाणी
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
7. तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 14 अगस्त 2019 राजस्व वाद संख्या 22/2019 महेन्द्र कुमार बनाम परेश इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेश खींचड, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 22 जन., 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2019 महेन्द्र कुमार बनाम परेश इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 14 अगस्त 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 अक्तूबर 2019 को प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एंव 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम बैठवासिया के खसरा संख्या 370 रकबा 72 बीघा 05 बिस्वा के एक-तिहाई हिस्से की भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त वाद विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 09 जुलाई 2019 को प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 निमय 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2019 को स्वीकार किया जाकर वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अंपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बैठवासिया के खसरा संख्या 370 रकबा 72 बीघा 05 बिस्वा के एक-तिहाई हिस्से के खातेदार मोहनलाल, प्रेमराम, कन्हैयालाल पिसरान चुन्नीलाल सोनार द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान वादी एवं उसके भाई ललित कुमार के पक्ष में दिनांक 24 जनवरी 1985 को जरिये पंजीबद्ध विकेय विलेख के माध्यम से किया जाना, बेचान के बाद उक्त विकेतागण का विकयसुदा भूमि में कोई स्वत्व एवं अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं रहते हुए भी विकेतागण द्वारा दिनांक 19 फरवरी 1985 को रेस्पो. संख्या एक के पिता मिश्रीलाल पुत्र पुखराज के हक में बेचान कर दिया और राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा कर अन्य सहखातेदारान के मध्य उक्त भूमि का विभाजन करवा कर राजस्व रिकार्ड में मूल खसरा संख्या 370 के अलग-अलग बट्टा नम्बर दर्ज करवा दिये, जबकि मौके पर प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के पिता का कभी कब्जा ही नहीं रहा। मोहनलाल व उसके भाईयों द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान वादी व उसके भाई के पक्ष में किया जा चुका था, इस कारण बाद में इसी भूमि का दुबारा बेचान करने हेतु कानूनन वे सक्षम नहीं थे, और इस कारण उनके द्वारा निष्पादित पश्चातवर्ती बेचाननामा दिनांक 18 फरवरी 1985 प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण केता मिश्रीलाल तथा उसके वारिस प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक को कोई अधिकार एवं स्वत्व अर्जित नहीं होते है। इसी प्रकार मोहनलाल, प्रेमराम, कन्हैयालाल पिसरान चुन्नीलाल सोनार द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान वादी एवं उसके भाई ललित कुमार के पक्ष में दिनांक 24 जनवरी 1985 को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख के माध्यम से किया जाने के बाद इन विकेताओं के किसी के भी देहान्त के बाद उनके वारिसान को भी कोई हक एवं अधिकार विरासतन प्राप्त नहीं होते है। इन्ही तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने अपना दावा पेश किया, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा मात्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र की सरसरी कार्यवाही करते हुए खारिज कर दिया, जबकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दावा खारिज किया जा सके। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय न्यायालय को मात्र वाद एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन मात्र करना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होता है, प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बचाव बिन्दुओं बाबत किसी प्रकार से गौर नहीं किया जा सकता। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को आधार बना कर वादी का वाद खारिज करने में विधिक भूल की है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या दो को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश करने का विधिक अधिकार ही उपलब्ध नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी संख्या दो स्वयं एक अजनबी व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के आधार पर खारिज कर दिया मगर डिकी पर्चा बनाये जाने के आदेश पारित नहीं किये गये, इस कारण अपील के साथ डिकी पर्चा की नकल पेश नही की जा सकी है। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने कथन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में 13 अप्रेल 2011 को एक दावा 73/2011 महेन्द्रकुमार व अन्य बनाम प्रेमराज इत्यादि पेश किया था, जो दिनांक 08 जुलाई 2016 को निस्तारित किया गया। इसके बाद पुनः वादी-अपीलाण्ट ने पूर्ववर्ती वाद के खसरा को ही नये वाद के रूप में दिनांक 01 मई 2019 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में इस खसरा नम्बर बाबत स्थगन प्रार्थनापत्र निर्णित कर दिया था। इस प्रकार पश्चातवर्ती प्रकरण विधि द्वारा बाधित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे श्रवण-योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। पूर्ववर्ती प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

शपथपत्र में ललितकुमार पुत्र पुखराज ने स्वयं सशपथ यह स्वीकार किया है कि बेचान दिनांक 24 जनवरी 1985 का सौदा निरस्त कर दिया गया तथा उक्त दिनांक से आदिनांक तक बेचान-सौदा में वर्णित भूमि पर हमारा कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही इस भूमि बाबत हमने विकेता मोहनलाल, कन्हैयालाल या प्रेमराज उर्फ प्रेमाराम पिसरान चुन्नीलाल सोनार को कोई धनराशि दी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध पूर्ववर्ती वाद संख्या 73/2011 महेन्द्रकुमार वगैरह बनाम प्रेमराज वगैरह की छायाप्रति का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के समक्ष वादी महेन्द्रकुमार पुत्र पुंखराज ओसवाल द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत ग्राम बैठवासियां स्थित आराजी खसरा संख्या 370 रकबा 71 बीघा 05 बिस्वा भूमि के संबंध खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बाबत प्रस्तुत वाद के प्रतिवादीगण प्रेमराज पुत्र चुन्नीलाल परेश पुत्र मिश्रीलाल, कन्हैयालाल पुत्र चुन्नीलाल, धन्नाराम पुत्र हीरालाल, रामूराम पुत्र हीरालाल, गिरधारी पुत्र चुन्नीलाल वर्तमान वाद संख्या 22/2019 महेन्द्र कुमार बनाम परेश व अन्य में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार है **तथा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 370 बाबत ही यह दावा राजस्थान** काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत पेश किया गया है। नवीन वाद पेश करने का कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने स्पष्ट करते हुए अपने **जबाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित किया है** कि वादग्रस्त भूमि में अजनबी केता को बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिवत विभाजन कराये बेचान किया है, अतः नया वाद प्रस्तुत करना पडा है। किन्तु **नया वाद पेश करने का यह कारण मान्य नहीं है** और न ही वादी-अपीलाण्ट को जो नवीन वादकरण उत्पन्न हुआ है, उसका समाधान है। यदि किसी वाद के दौरान वादग्रस्त सम्पति/आराजी का तृतीय पक्ष को बेचान कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में **विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि केता को विचाराधीन वाद में नियमानुसार न्यायालय में आवेदन पेश कर पक्षकार कायम करवा लिया जावे। नया वाद पेश करना कोई अनुतोष नहीं है।** अपील स्तर पर अधिवक्ता अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश में ऐसी कोई सारभूत त्रुटि अथवा अनियमितता इंगित नहीं कर पाये जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य या आवश्यकता प्रतीत हो।

अतः उपरोक्त समस्त विवचेन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नही पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14 अगस्त 2019 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय का कोई प्रतिकूल प्रभाव पूर्व में चल रहे वाद संख्या 73/2011 महेन्द्रकुमार वगैरह बनाम प्रेमराज वगैरह की किसी भी कार्यवाही पर नहीं रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/1/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
महेन्द्रकुमार पुत्र पुखराज ओसवाल देशलहरा निवासी ग्राम बैठवासिया पण्डितजी की ढाणी तहसील ओसिया, जिला जोधपुर	ब ना म	1. परेश पुत्र मिश्रीलाल महाजन, निवासी ग्राम बैठवासिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2. पप्पूराम पुत्र डालूराम जाट, निवासी पण्डित जी की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 3. हीरालाल पुत्र चुन्नीलाल के कायममुकामान-- a. रामूराम पुत्र हीरालाल b. धन्नाराम पुत्र हीरालाल 4. गिरधारीलाल पुत्र चुन्नीलाल 5. प्रेमराज पुत्र चुन्नीलाल 6. कन्हैयालाल पुत्र चुन्नीलाल समस्त जाति सोनार, निवासीगण ग्राम पण्डित जी की ढाणी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 7. तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 14 अगस्त 2019 राजस्व वाद संख्या 22/2019 महेन्द्र कुमार बनाम परेश इत्यादि

----- 0 -----

यह अपील बतारीख 22 जनवरी 2020 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट एवं श्री राजेश खीचड मिनजानिब रेस्पो. एवं श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. संख्या सात समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवचेन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नही पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14 अगस्त 2019 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय का कोई प्रतिकूल प्रभाव पूर्व में चल रहे वाद संख्या 73/2011 महेन्द्रकुमार वगैरह बनाम प्रेमराज वगैरह की किसी भी कार्यवाही पर नहीं रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----------) रूपये ------ शून्य -------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---- शून्य ------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 22 जनवरी 2020 को जारी किया गया।

22/1/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

22/1/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर